

**अधिसूचना संख्या 212/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1999(ई), दिनांक  
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 5 पर, "कलकत्ता रेस्क्यू" द्वारा "कलकत्ता रेस्क्यू पंजीकृत कार्यालय - 10, निलमणी मित्रा स्ट्रीट, कोलकाता - 700 006, पश्चिम बंगाल" को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 18.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35एसी के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "कलकत्ता रेस्क्यू" योजना या परियोजना को, जो "कलकत्ता रेस्क्यू पंजीकृत कार्यालय - 10, नीलमणि मित्रा स्ट्रीट, कोलकाता - 700006, पश्चिम बंगाल" द्वारा अनुमोदित लागत 18.57 करोड़ रुपये में किसी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अधिक अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए, अधिसूचित करती है।

■ ■